पत्र संख्या-विधि-1(3) सामान्य समाधानयोजना (2010-2011)// 59/ 1112011 // वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर,उ0प्र0।
(विधि अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक 13 अप्रैल,2011

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

कृपया शासन के विज्ञप्ति संख्या-क0नि-2-420/ग्यारह-9(2)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(70)-2011 दिनांक 31 मार्च 2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसे मुख्यालय के पत्र सं0-विधि-4(1)विज्ञप्ति भाग-3(2010-2011)2046 दिनांक 31 मार्च 2011 द्वारा परिपत्रित किया गया था तथा जो प्रान्त के अन्दर से खरीदे गये माल के प्रान्त के अन्दर पुनर्विक्रय का ही कारोबार करने वाले व्यपारियों के लिए समाधान योजना से सम्बन्धित है।

2- शासन की उक्त अधिसूचना के प्रस्तर (12) के प्राविधानों के अनुसार समाधान प्रार्थना पत्र तथा शपथ पत्र/अनुबन्ध पत्र निर्धारित करते हुये इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

3- उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार समाधान योजना में सम्मिलित होने वाले व्यापारियों एवं जमा समाधान राशियों से सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित प्रारुप में जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा मुख्यालय को **प्रत्येक त्रैमास के अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक** उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

प्रारुप

समाधान योजना अपनाने वाले व्यापारियों से संबंधित विवरण

त्रैमास का नाम:----------वर्ष----------

त्रैमास में प्राप्त कुल समाधान प्रार्थना पत्रों की संख्या	त्रैमास में प्राप्त कुल समाधान राशि (रु0 में)	त्रैमास तक प्राप्त कुल समाधान प्रार्थना पत्रों की संख्या	त्रैमास तक प्राप्त कुल समाधान राशि (रु0 में)	कुल प्राप्त समाधान प्रार्थना पत्रों में से त्रैमास के दौरान नये पंजीयन प्रार्थना पत्र देने वाले एवं समाधान अपनाने वाले व्यापारियों की संख्या	कालम-5 के व्यापारियों से प्राप्त त्रैमास में समाधान राशि (रुपये में)	कालम-5 के व्यापारियों से त्रैमास तक प्राप्त समाधान राशि (रुपये में)	कालम-5 में से त्रैमास के दौरान पंजीकृत व्यापारियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8

कृपया आवश्यक कार्यवाही कराते हुये इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराने एवं व्यापारिक/ अधिवक्ता संघों को प्रतियॉं उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन् 2008)की
धारा-6(1) के परन्तुक के अन्तर्गत समाधान प्रार्थना-पत्र

सेवा में,

कर निर्धारक प्राधिकारी
खण्ड / मंडल----------
जनपद ----------
वर्ष ----------

महोदय,

मैं, श्री/श्रीमती ---------- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ----------
,सर्वश्री ----------जिसका मुख्यालय ----------
----------पर स्थित है जिसे मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन् 2008) की धारा-17 अथवा धारा-18 के अन्तर्गत वाणिज्य कर कार्यालय ---------- द्वारा जारी टिन----- ---------- दिनांक----------से प्रभावी किया गया है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने के लिए पंजीकरण प्राधिकारी ---------- मंडल ---------- जनपद के कार्यालय में दिनांक ----------को पंजीयन प्रार्थना पत्र फार्म -VII में प्रस्तुत कर दिया है, का स्वामी / साझीदार / निदेशक / (प्रास्थिति) ---------- हूँ। मै यह प्रार्थना पत्र उक्त फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा / रही हूँ (जिसे उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली,2008 के नियम-32 के उपनियम (6) के अन्तर्गत हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है)। मैंने देय कर के विकल्प में धारा-6(1) के परन्तुक में जारी अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-420/ग्यारह-9(2)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008 आदेश-(70)-2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 को मैंने तथा फर्म के हितबद्ध सभी व्यक्तियों ने सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है अथवा सुन लिया है और समझ लिया है। उक्त अधिसूचना में उल्लिखित समस्त शर्ते स्वीकार करता / करती हूँ।

2- मैं वित्तीय वर्ष 20------- 20-------- में उक्त फर्म द्वारा देयकर के स्थान पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन् 2008) की धारा-6(1) के परन्तुक तथा उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जारी की गई उक्त विज्ञप्ति के प्राविधानों के अधीन संलग्न शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र के अनुसार एकमुश्त धनराशि स्वीकार किये जाने का निवेदन करता / करती हूँ।

घोषणा

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि इस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी तथा विश्वास में पूर्णतया सत्य है। उसमें कोई तथ्य गलत या अपूर्ण नहीं है और न ही संगत तथ्य छिपाया गया है।

संलग्नक:शपथ पत्र/अनुबन्ध पत्र।

दिनांक----------

हस्ताक्षर----------
प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता ----------
पूरा नाम ----------
प्रास्थिति ----------

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन् 2008)की
धारा-6(1) के परन्तुक के अन्तर्गत समाधान प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित
शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र

मैं,श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नीश्री----------
आयु.....वर्ष.....स्थायी निवासी(पूरा पता).....
.....शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि:-

1- मैं फर्म सर्वश्री.....जिसका मुख्यालय (पूरा पता) .....पर स्थित है, का स्वामी/साझीदार/ (प्रास्थिति).....हूँ तथा यह शपथ पत्र/अनुबन्ध पत्र उपरोक्त फर्म की ओर से वर्ष 20--------20-------- के लिए उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा 6 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।

2- मेरी फर्म के मुख्यालय व शाखाओं का विवरण निम्नवत् है :-

क्रम सं0	नाम	पूरा पता	क्रय विक्रय की जाने वाली वस्तु का नाम	व्यवसाय की प्रकृति
1- 2-	मुख्यालय शाखाएं (अ) (ब) (स)			

3- फर्म का गत् वर्ष का कुल विक्रय धन (करयोग्य, करमुक्त तथा नॉन-वैट वस्तुओं का) रू0 50 लाख से कम था तथा वित्तीय वर्ष (20------ 20--------) में कुल विक्रय धन रू0 50 लाख से अधिक होने की संभावना नही है।

4- उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-420/ग्यारह-9(2)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008 आदेश-(70)-2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 में दिए गए प्राविधानों/शर्तो को मैनें सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है अथवा सुन लिया है तथा समझ लिया है। वह मुझे फर्म के सभी हितबद्ध व्यक्तियों के लिए मान्य है तथा प्राविधानों/शर्तो का पालन करने तथा दायित्वों के निर्वहन के लिए बाध्य होगी।

5- उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी उपरोक्त विज्ञप्ति के प्राविधानों/शर्तो का अनुपालन न किये जाने की दशा में कर निर्धारण प्राधिकारी नियमानुसार मेरी फर्म के विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगें।

दिनांक----------

हस्ताक्षर----------
प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता ----------
पूरा नाम ----------
प्रास्थिति ----------